न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 177/2026
आदेश

01.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय 2. संदीप कुमार पाण्डेय एवं 3. रविन्द्र सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2), 11(2), 329(3), 118(1), 109, 352, 351(2) एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज सूर्यपुरा थाना कांड संख्या 142/2026 में दिनांक 10.05.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में सुश्री सबा शकील, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार भार्गव मिश्रा को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शशिकांत मिश्रा को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक उत्तम तिवारी ने अपने फर्दबयान में यह आरोप लगाया है कि दिनांक 09.05.2026 को प्रातः लगभग 08.45 बजे अभियुक्तगण, जिनमें उसके ससुर सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, साला संदीप कुमार पाण्डेय, रविन्द्र सिंह तथा दो अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। योजनाबद्ध तरीके से उसके घर पर आए और ईंट–पत्थर से हमला कर उसे घायल कर दिया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने ईंट से सूचक के सिर पर प्रहार किया था तथा अभियुक्त संदीप कुमार पाण्डेय ने देशी कट्टा निकालकर उसकी ओर तानते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शोर सुनकर ग्रामीणों के एकत्र होने तथा पुलिस गश्ती दल के पहुंचने पर तीन अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जबकि दो अज्ञात व्यक्ति भाग निकले। बाद में घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक देशी कट्टा बरामद होने की बात कही गई है।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त ने पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या सत्र न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के सूचक एवं अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय की पुत्री उर्वशी कुमारी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है तथा उर्वशी कुमारी द्वारा सूचक के विरुद्ध भरण–पोषण एवं वैवाहिक अधिकारों की बहाली संबंधी वाद दायर किया गया है। इसी कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर सूचक ने यह वर्तमान वाद आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया है। सूचक ने स्वयं आवेदक अभियुक्तों को समझौते हेतु बुलाया था तथा पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसने आवेदक अभियुक्तों को झूठे वाद में फंसा दिया है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 10.05.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त भारतीय वायुसेना का सदस्य है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक के साथ मारपीट करने, ईंट–पत्थर से

लगातार
01.06.2026

उसके सिर पर प्रहार करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा "गोली मार दो" कहने पर अभियुक्त संदीप कुमार पाण्डेय ने देशी कट्टा निकालकर सूचक पर तान दिया था। घटना के समय पुलिस गश्ती दल द्वारा अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा बाद में देशी कट्टा भी बरामद हुआ। वाद में अभी अनुसंधान जारी है। अतः उन्होंने वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्तों के नियमित जमानत को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्तों के नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक के साथ मारपीट करने, ईंट–पत्थर से उसके सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर प्रहार करने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। केस दैनिकी के साथ आवेदक अभियुक्तों का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। प्राथमिकी के अनुसार प्रस्तुत वाद में एक देशी कट्टा की भी बरामदगी की बात कही जाती है। वाद में अभी अनुसंधान जारी है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने भी वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किए जाने का विरोध किया है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्तों का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।